POSTAL, TELEGRAPH AND TELEPHONE FACILITIES IN KERALA

2201. SHRI VASUDEVAN NAIR : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether the Post Master General, Kerala Circle and the Central Government have received representations from M.Ps and M.L.As regarding the absence of postal, telegraph and telephone facilities in the high ranges (Udumbanchola, Peermade, Devikulam Taluks) of Kerala State;

(b) whether any steps are proposed to be taken to meet the barest minimum requirements of the people; and

(c) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND COMMUNICATIONS (SHRI I. K. GUJRAL) : (a) Yes.

(b) and (c). As a result of the examination of the representations, sanction for opening six new Post Offices have been issued. Three poposals are under examination. There are 91 post offices in these areas at present compared to 51 offices at the commencement of III Plan. By the end of 1970-71, about new 38 post offices are likely to be established.

Telecommunications

There are 6 Telephone Exchanges, 9 Public Call Offices and 15 Telegraph Offices at present. Sanctions have been issued for opening two more Telephone Exchanges, one Public Call Office and one Telegraph Office. Proposals for opening 4 Telephone Exchanges, 8 Public Call Offices and 6 Telegraph Offices are under consideration of the Postmaster General, Trivandrum.

दिल्ली और उत्तर प्रदेश में गोदामों में अनाज खराब हो जाना

2202. **श्री निहाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और उत्तर प्रदेश में विभिन्न गोदामों में पिछले पांच वर्षों में आयातित तथा देसी अनाज कितना और कितने मूल्य का खराब हुआ ; और

(ख) इस बारे में सरकार ने कितने गोदाम मालिकों और सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की है, जिन की लापरवाही के कारण यह नुक्सान हुआ ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिक शिन्दे) : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

अधिनियमों का हिन्दी में अनुवाद

2203. **श्री निहाल सिंह** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अधिनियमों का हिन्दी में अनुवाद करने का विनिश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) सरकार को इस विषय में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) भारत सरकार के एक संकल्प द्वारा स्थापित राजभाषा (विधायी) आयोग सभी केन्द्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों आदि के प्रामाणिक हिन्दी पाठ तैयार करने के काम में लगा हुआ है। सरकार ने अब यह विनिश्चय किया है कि राज्य विधियों का (जो कि हिन्दी से भिन्न भाषाओं में हैं) हिन्दी में अनुवाद भी केन्द्रीय स्तर पर राजभाषा (विधायी) आयोग द्वारा किया जाना चाहिये। किन्तु ऐसी प्रस्थापना है कि यह काम आयोग को तब सौपा जाए जब कि उसने केन्द्रीय विधियों के हिन्दी में अनुवाद में सारवान् प्रगति कर ली हो।

(ख) राजभाषा (विधायी) आयोग अब तक 66 केन्द्रीय अधिनियमों के और विभिन्न केन्द्रीय अधिनियमों के अधीन निकाले गए 31 नियमों के सेटों के हिन्दी पाठों को अन्तिम रूप दे चुका है।

(ग) केन्द्रीय और राज्य विधियों के अनुवाद का काम बहुत ज्यादा है। आयोग के काम में जिन दो बड़ी कठिनाइयों का अनुभव हो रहा है वे हैं: इस विशेषित कार्य के लिए पर्याप्त रूपेण प्रशिक्षित कार्मिकों की कमी और मुद्रण सुविधाओं का यथा-योग्य न होना। विभिन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिये जो कदम उठाए जाने हैं वे विचाराधीन हैं।

पंजाब श्रमजीवी पत्रकार संघ

2204. **श्री रामावतार शास्त्री**: क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब श्रमजीवी पत्रकार संघ ने अपने वार्षिक सम्मेलन में तीसरा मजूरी बोर्ड स्थापित किये जाने की मांग की है;

(ख) क्या इस सम्मेलन में यह मांग भी की गई थी कि उनके काम करने का समय 6 घंटे से घटाकर 5 घंटे किया जाना चाहिये ;

(ग) क्या इस सम्मेलन में यह मांग भी की गई थी कि श्रमजीवी पत्रकारों का न्यूनतम मासिक वेतन 130 रुपये के बदेल 237 रुपये निर्धारित किया जाना चाहिए; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी): (क) से (ग). सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

LOSSES TO POSTS AND TELEGRAPHS DEPARTMENT

2205. SHRI NANJA GOWDER : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Post and Telegraphs Departments have been incurring a loss of Rs. 13 crores annually;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the action proposed to be taken by Government in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND COMMUNICATIONS (SHRI I. K. GUJRAL) : (a) The Posts & Telegraphs Department incurred a loss only in 1965-66 and 1966-67 of Rs. 5.35 crores and Rs. 3.10 crores respectively.

(b) The loss was mainly due to increase in expenditure arising from enhancement in the rates of Dearness Allowance to Central Government Employees from time to time as well as to general sluggishness in trade and industry affecting the revenues adversely.

(c) Telephone Tariffs were increased from January, 1966. Certain Postal, Telegraphs and Telephone tariffs have been increased from July/August, 1967. A Tariffs Enquiry Committee has been set-up for formulation of principles for fixation of tariffs and also to suggest other measures for improvement in the finances of the Department. Further action will be taken on receipt of the recommendations of the Committee.

SURATGRAH FARM

2206. SHRI NANJA GOWDER : Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Suratgrah Agricultural Farm is incurring a loss of 15 to 20 lakhs of rupees annually;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the action taken by Government thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVE-